—:प्रेस नोटः—

दिनांक 12.04.2024 को अपरान्ह 12:00 बजे श्री आलोक कुमार, प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा सर्किट हाउस, बरेली में गेहूँ खरीद की समीक्षा बैठक की गयी, जिसमें मण्डलायुक्त महोदया, सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक महोदय, जनपद बरेली के अपरजिलाधिकारी/जिला खरीद अधिकारी, सम्भागीय खाद्य विपणन अधिकारी, डी0डी0 मण्डी, जे0डी0ए0 बरेली, डी0आर0 कॉपरेटिव, एस0आर0ए0ओ0 बरेली, जनपद बरेली एवं बदायूँ के जिला खाद्य विपणन अधिकारी, ए0आर0 कॉपरेटिव, बरेली, पी0सी0एफ0, पी0सी0यू0, यू0पी0एस0एस0, एस0डब्लू0सी0 एवं एफ0सी0आई के मण्डलीय एवं जनपद बरेली एवं बदायूँ के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

बैठक में प्रमुख सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि कृषकों के मध्य गेहूँ क्रय का प्रचार—प्रसार कर कृषकों को सरकारी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ विक्रय करने हेतु प्रेरित किया जाये। मण्डियों में गेहूँ की हो रही आवक का 50 प्रतिशत से अधिक भाग सरकारी क्रय केन्द्रों द्वारा क्रय किया जाये तथा इस कार्य हेतु मण्डी परिषद के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जाये। मण्डी तथा जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि गेहूँ का अवैध संचरण एवं टैक्स की चोरी किसी भी हाल में न हो। मण्डी परिषद द्वारा गेहूँ की उत्पादकता के सापेक्ष गेहूँ की आवक पर निरन्तर निगरानी रखी जाये। भारतीय खाद्य निगम द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि गेहूँ का उतार तेजी से होता रहे। किसानों का भुगतान निर्धारित अधिकतम 48 घण्टों के अन्तर्गत सुनिश्चित कराया जाये तथा प्रयास करके गेहूँ क्रय के 24 घण्टों के अन्दर कृषकों को भुगतान किया जाये। जनपद शाहजहाँपुर एवं पीलीभीत की भांति जनपद बरेली एवं बदायूँ में खाद्यान्न का कारोबार मण्डी परिसर में ही कराया जाये। समस्त क्रय संस्थाएं दैनिक रूप से 500 कुं0 गेहूँ की खरीद प्रत्येक केन्द्र पर करायें। बरेली मण्डल हेतु निर्धारित गेहूँ क्रय लक्ष्य 11.29 लाख मी0टन की पूर्ति प्रत्येक दशा में सुनिश्चित करायी जाये। आगामी दिवसों में एफ0पी0ओ0 एवं एफ0पी0सी0 को पी0सी0यू0 एवं पी0सी0एफ0 के माध्यम से गेहूँ क्रय हेतु शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त एफ0पी0ओ0 एवं एफ0पी0सी0 के माध्यम से गेहूँ खरीद कराने के सम्बन्ध में मण्डलायुक्त महोदया द्वारा डी0आर0 कॉपरेटिव एवं जे0डी0ए0 बरेली को उनकी अध्यक्षता में बैठक आयोजित कराने के निर्देश दिये गये हैं।